तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
14/08/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित। विपक्षीगण को कोई समय तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। आवाजें दिलाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी के काबिल पर बहस सुनी। आदेश अलग से लिखकर जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार जारी हो। पालना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावे। पत्रावली निर्णय हुआ होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

(प्र)करण संख्या : 208 / 2023

प्रार्थीगण :–

1. ठाकराराम पुत्र गोमाराम
   जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. हिरकनराम पुत्र विरधाराम
2. हुकमाराम पुत्र गोमाराम
3. अर्जुनराम पुत्र गोमाराम
4. विरधाराम पुत्र गोमाराम
5. सोनाराम पुत्र गोमाराम
   जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
6. सुजानाराम पुत्र छोगाराम
7. वासुदेव पुत्र छोगाराम
8. भलाराम पुत्र छोगाराम
   जाति विश्नोई निवासी गोरामाणियों की ढाणी
9. भाणाराम पुत्र हरगिराम जाति विश्नोई निवासी पूनिया का वास तहसील गुड़ामालानी
10. वगता पुत्र उका जाति मेघवाल निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री सुखराम विश्नोई की पत्रावली पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा उदाणियों की ढाणी पटवार हल्का मौखावा के खेत खसरा नम्बर 1341 / 5, 1341 / 9 रकबा कमशः 2.9704, 0.4613 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा उदाणियों की ढाणी पटवार हल्का मौखावा के खेत खसरा नम्बर 1341/5, 1341/9 रकबा क्रमशः 2.9704, 0.4613 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक, नगर को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12/2/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्र. वाद / 2024 / 161 दिनांक : 26/2/24

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

ठाकराराम हिरकनराम वगैरा

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं......208 / 2024.. निर्णय दिनांक :– **12.02.2024**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **उदाणियों की ढाणी पटवार हल्का मौखावा** के खेत खसरा नम्बर 1341 / 5, 1341 / 9 रकबा कमशः 2.9704, 0.4613 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक, नगर**....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....500 / –...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

कमांकः वाद / 2024 / 162-63 दिनांक :26/2/24

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी.........गुड़ामालानी.
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **नगर**
4. हल्का पटवारी....**मौखावा**.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........गंगदाराम पुत्र मालाराम
6. विप्रार्थीगण.......अमीया वगैरा

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी